समापण भाषण

माननीय सदस्यगण,

षोड्श बिहार विधान सभा का द्वादश सत्र दिनांक 11 फरवरी, 2019 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 20 फरवरी, 2019 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-07 बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 11 फरवरी, 2019 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के सह-समवेत बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों को विस्तारित भवन के नव-निर्मित सेन्ट्रल हॉल में संबोधित किया गया । माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन पटल पर रखी गयी । एकादश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 02 (दो) विधेयकों का विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । सभा सचिव द्वारा न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, पटना द्वारा विशेष वाद संख्या-145/2018 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री राजबल्लभ प्रसाद, स०वि०स०, क्षेत्र संख्या-237, नवादा के विरूद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के परिणामस्वरूप दिनांक 15.12.2018 के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित होने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया । अभी तक कुल-14 (चौदह) जननायकों के निधन के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी घटना में शहीद सी. आर.पी.एफ. के जवानों के प्रति शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 12 फरवरी, 2019 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक को सदन में उपस्थापित किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया ।

Contd....2.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 12 फरवरी, 2019 को माननीय सदस्य, श्री मेवालाल चौधरी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी वाद-विवाद का उत्तर दिनांक 13 फरवरी, 2019 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया तत्पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 14 फरवरी, 2019 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित परिवहन विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया एवं वाद-विवाद के उपरान्त उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । फिर तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन, पथ निर्माण विभाग, संसदीय कार्य विभाग एवं विधि विभाग द्वारा उनके विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगमों एवं प्राधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये तथा संसदीय कार्य विभाग द्वारा नियमावली की प्रति भी सदन पटल पर रखे गये ।

प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा राजकीय संकल्प के दो प्रस्ताव यथा- (1) वर्ष 2021 की जनगणना जातीय आधार पर करने एवं (2) विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू की गयी विभागवार रोस्टर प्रणाली को समाप्त करते हुए पूर्ववत् विश्वविद्यालय स्तरीय रोस्टर के आधार पर नियुक्ति करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करने का प्रस्ताव सदन के द्वारा पारित किया गया ।

Contd....3.

दिनांक 20 फरवरी, 2019 को प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3(4) के तहत् गठित न्यायिक जाँच आयोग का जाँच प्रतिवेदन तथा जाँच प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1) बिहार विनियोग विधेयक विधेयक, 2019.
2) बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019.
3) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक, 2019.
4) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2019.
5) इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019.
6) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2019.
7) बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति (निरसन) विधेयक, 2019
8) बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019.
9) बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2019.

सत्र के दौरान कुल-1192 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 971 प्रश्न स्वीकृत हुए । स्वीकृत प्रश्नों में 10 अल्पसूचित, 850 तारांकित एवं 111 प्रश्न अतांराकित थे। इन प्रश्नों में 30 प्रश्न का उत्तर सदन में हुआ । शेष 941 प्रश्न अनागत हुए। इन अनागत प्रश्नों में से 523 प्रश्नों के उत्तर ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त हुए ।

इस सत्र में कुल-121 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 12 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 03 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये ।

Contd....4.

इस सत्र में कुल-235 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 228 स्वीकृत हुए एवं 07 अस्वीकृत हुए । कुल-138 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 96 स्वीकृत एवं 42 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल-102 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

इस सत्र में प्रश्नकाल का पटना दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाही की रिकॉर्डिंग भी की गयी । इससे जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीकण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

माननीय सदस्यगण, हर्ष एवं उल्लास का पर्व होली आसन्न है । इस अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों के साथ सम्पूर्ण बिहारवासियों को सदन की ओर से मैं शुभकामनाएँ देता हूँ । मेरी यह कामना है कि यह त्योहार समस्त बिहार के लोगों के जीवन में खुशहाली लाए ।

माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करूँ, इस सत्रावधि में कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके प्रति शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है ।

****